राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

(I) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्रीमती किरण माहेश्वरी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगी।

3. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगें वर्ष 2011-2012 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रि वर्ष 2011-2012 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

4. विधायी कार्य

(अ) पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगेः-

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-17)	''राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक''।

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

जारी..2..

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-3)	"वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक"।

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-6)	"वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 25 मार्च, 2015